कार्यालय जिला कलक्टर अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानन्द अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **50 / 2017** अपील सू.प्र.

उनवान

श्री एस0एस0राणावत नि0 एफ 159 / 5, हनुमान कॉलोनी, शास्त्रीनगर भीलवाड़ा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
––अपीलार्थी		––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 23 / 05 / 2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 12 / 05 / 2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 21 / 03 / 2017 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10 / –रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 35एफ 760549 प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आवेदन दिनांक 21.03.2017 के बिन्दु संख्या 4 व 14 में अंकित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 21 / 03 / 2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 15 / 05 / 2017 को पंजीबद्ध किया जाकर पक्षकारान् को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर,भीलवाड़ा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर भीलवाड़ा के पत्रांक / सू0प्र0 / 2017 / 179 दिनांक 22.05.2017 से सभी सूचनाएं सम्बन्धित अनुभागों के द्वारा उपलब्ध कराई गई जिनकी फोटो प्रतियां प्रत्युत्तर के साथ संलग्न कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को समस्त सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई है अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपीलान्ट की अपील के तथ्यों एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर भीलवाड़ा के पत्रांक/सू0प्र0/2017/179 दिनांक 22.05.2017 से सुस्थापित होता है कि अपीलान्ट का आवेदन दिनांक 21.03.2017 सूचना का अधिकार अधिनियम में प्राप्त हुआ जिसमें कुल 8 बिन्दु ही अंकित है इसमें बिन्दु संख्या 14 अंकित नहीं है। जिला कलक्टर कार्यालय में स्थापित विभिन्न अनुभागों से सूचना प्राप्त कर अपीलान्ट को उपलब्ध कराया जाना प्रत्यर्थी के जवाब के साथ संलग्न अनुभागों के पत्रों की छाया प्रतियों एवं स्वयं अपीलान्ट के द्वारा कुछ सूचनाओं की आवश्यकता नहीं होने के सम्बन्ध में प्रस्तुत लिखित कथन से सिद्ध होता है । अतएवः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर, भीलवाड़ा अपीलार्थी को उसके आवेदन दिनांक 21.03.2017 में अंकित बिन्दुओं मे से सूचना उपलब्ध कराया जाना शेष हो वे सूचनाएं सूचना का अधिकार अधिनियम की मंशा के अनुरूप अपीलान्ट को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 23/05/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा